छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 की धारा-4 (1)(बी)

के तहत मेन्युअल

बिन्दु क्रं.1-संगठन की विशिष्टतायें, कृत्य एवं कर्तव्य

भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अंगीकृत की गई है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से तथा अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा ।

जिन राज्यों में 2 सदन हैं, वहॉ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होता है और जहॉ केवल एक सदन है, वहॉ उसका नाम विधान सभा होता है, तद्नुसार छत्तीसगढ़ में एक ही सदन होने से विधान सभा अस्तित्व में है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के दिनॉक 1.11.2000 को अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ विधान सभा का गठन भी एक नवम्बर, 2000 से हुआ जो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली विधान सभा कहलायी। विधान सभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 172 के अधीन उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तारीख से 5 वर्ष तक रहती है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विधान सभा का विघटन स्वमेव हो जाता है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा में वर्तमान में चतुर्थ विधान सभा का गठन 11 दिसम्बर, 2013 को हुआ है । छत्तीसगढ़ विधान सभा में वर्तमान में 90 सदस्य हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एंग्लोइंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एंग्लोइंडियन समुदाय के एक सदस्य को महामहिम राज्यपाल द्वारा सदस्य मनोनित किया गया है । इस प्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 91 है।

संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में यह प्रावधान भी है कि राज्य की मंत्री-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधान सभा का मुख्य कार्य विधि का निर्माण व राज्य के आय व्यय का अनुमान स्वीकृत करना है। साथ ही यह शासन के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी करती है।

विधान सभा की विभिन्न समितियॉ होती हैं, जो सदन का लघु रूप कहलाती हैं । इन समितियों में विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श एवं चर्चा कर शासन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है ।

विधान सभा में विभिन्न कार्यकलापों की दृष्टि से विभिन्न शाखाओं का गठन किया गया है, जिसमें स्थापना शाखा, लेखा शाखा, संपदा शाखा, सामान्य शाखा, वाहन शाखा, स्टेशनरी शाखा, सूचना शाखा, आगम-निर्गम शाखा आदि हैं।

विधान सभा की गतिविधियों के संचालन के लिए विधान सभा प्रमुख सचिव के नियंत्रण के अधीन एक विधान सभा का सचिवालय है, जिसका कार्यालय समय 10.30 बजे से 5.30 बजे तक लगता है। जिसका प्रशासनिक नियंत्रण माननीय अध्यक्ष में निहित है।

बिन्दु क्रं. 2-अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

विधान सभा एवं उसकी शाखाओं के विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का एक संवर्ग है, जिसके माध्यम से विधान सभा सचिवालय के विभिन्न शाखाओं का कार्य संपादित होता है। कार्य की सुविधा की दृष्टि से विधान सभा सचिवालय में निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया हैः-

प्रमुख सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, संचालक (पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ सेवा), वरिष्ठ सूचना अधिकारी, संचालक (सुरक्षा), अवर सचिव, प्रशासकीय अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, अनुसंधान अधिकारी, संदर्भ अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी (पुस्तकालय), कार्यवाही संपादक, प्रवर श्रेणी प्रतिवेदक, उप संचालक (सुरक्षा) पुस्तकाध्यक्ष, लेखाधिकारी, वित्तीय समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सत्कार अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक संचालक (सुरक्षा), निज सचिव, निज सहायक, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 भृत्य आदि ।

समस्त प्रशासकीय शक्तियॉ अध्यक्ष के आदेश के अध्याधीन होते हुए प्रमुख सचिव में निहित हैं. सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने पदीय दायित्वों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ।

<u>बिन्दु क्रं. 3- निर्णय लेने में प्रक्रम में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निगरानी/पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम सहित.</u>